इंग्लैंड का संवैधानिक इतिहास

एफ० डब्ल्यू० मेटलैंड
के द्वारा
दिए व्याख्यानों की शृंखला

सम्पादक :
एच० ए० एल० फिशर

अनुवादक :
डा० भूपेश चन्द्र सक्सेना
मेरठ कालिज, मेरठ

Manohar Memorial College
LIBRARY
Accession No. 1236
Classification.........
FATEH BAD (HISSAR)

प्रकाशक :
लॉयल बुक डिपो,
मेरठ

विश्लेषण[1]

पाठ्यक्रम की रूपरेखा. पांच युगों के सार्वजनिक कानून की रूपरेखा, (१) १३०७, (२) १५०६, (३) १६२५, (४) १७०२, (५) वर्तमान युग। युगों के इस चुनाव के कारण। प्रथम व अंतिम सबसे अधिक प्रभावशाली होगा।

प्रथम युग

एडवर्ड प्रथम की मृत्यु के समय आंग्ल सार्वजनिक कानून।

(क) अंग्रेजी कानून की सामान्य विशेषताएं तथा निर्माण का सिंहावलोकन।

(i) सन् १०६६ से पूर्व। राजाओं और विद्वानों के डूम्स; परम्परागत कानून का आधार (जन अधिकार); स्थानीय शुल्क; तीन कानूनों का सिद्धांत, पश्चिमी सॅक्सन, मसियम डेनिस; परम्परागत कानून की औपचारिकता; अज्ञात रोमन कानून; चर्च का प्रभाव; डूम्स की विशेषताएं। पृ० १—६

(ii) सन् १०६६ से ११५४ तक। नारमनों का क्या कानून था? आंग्ल विधि; आंग्ल कानून का अतिजीवन; विलियम I तथा हेनरी I द्वारा पुष्टियां। विधि पुस्तकें: लीगेस एडवर्डी, विलेल्मी, हेनरिसी प्रीमी; आँग्ल तथा नॉरमन विधि का मिश्रण (फ्रैंकिश)। विलियम I के वास्तविक कानून; हेनरी I और स्टीफेन के चार्टर; डूम्सडे पुस्तक। पृ० ६—१०

(iii) सन् ११५४ से १२१५ तक। हेनरी II विधायक के रूप में; क्लेरेंडन का संविधान (११६४); धार्मिक विधि का उत्थान; रोमन विधि का अध्ययन; 'एसाइजेज'; अधिकार क्षेत्र और बड़े क्षेत्र; क्लेरेंडन का क्षेत्र (१११६) और नॉर-थैम्पटन (११७६)। विधि पुस्तकें; ग्लैनविल (प्रसिद्धि पत्र ११८८); लायलोगस डी स्केकेरिओ; प्रथम अभियुक्ति रोल (११९४)। १०—१४

---

१. इस विश्लेषण अथवा पाठ्यक्रम की मुद्रित प्रतियां उन लोगों को दी गईं थीं जिन्होंने कि व्याख्यानों को सुना था। कुछ थोड़े से परिवर्तन उन स्थानों पर किये गये हैं जहां कि व्याख्यानों के विषय का क्रम विश्लेषण में दिए गए के साथ मिल नहीं पाता है।

(iv) सन् १२१५ से १२७२। चार्टर; अनेकों संस्करण, १२१५, १२१६, १२१७, १२२५ ; इसकी विशेषता; प्रावधान की पुस्तक का प्रारम्भ ; मैरटन का प्रावधान (१२३६), मेलबोर्न का (१८६७) ; बरों का युद्ध। न्याय शास्त्र का अध्ययन ; ब्रैक्टन (१२६८); रोमन विधि और आंग्ल 'निर्णय विधि'; सामान्य कानून की प्रगति। पृ० १४—१८

(v) सन् १२७२ से १३०७ तक। 'आँग्ल जस्टीनीनियन'। महान प्रावधान, १२७५ वेस्टमिन्स्टर I, १२७८ ग्लोसैस्टर, १२८४ वेल्स, १२८५ वेस्टमिन्स्टर II और बिन्चेस्टर, १२६० वैस्टमिन्स्टर III, १२६७ कन्फरमेशन कारटेरम; उनकी विशेषता और स्थायी महत्व। एडवर्ड शासन प्रबन्धक के रूप में विधि पुस्तकें: ब्रिटन, फ्लेटा। प्रथम वर्ष की पुस्तक १२६२। अव्यवस्थित विधि के विकास पर प्रतिबन्ध। अध्ययन के लिए रोमन विधि के मुकदमे। विधिवेत्ताओं के वर्ग का उत्थान। 'कॉमन लॉ', प्रावधान से अन्तर, स्थानीय प्रथाएं, पुरोहित कानून, 'औचित्य' के साथ अब तक नहीं। पृ० १८—२२

(ख) भूमि–प्रथा

भूमि प्रथा के प्रारम्भ होने के कारण। पृ० २२—२३.

पट्टेदारी का सिद्धांत। उप-पट्टेदारी : वेस्टमिन्स्टर II के प्रावधान द्वारा रोका जाना ; सामंती सूत्र **अ टिनेट टैरम डी ब**। पट्टेदारी और सेवा। पट्टेदारी का वर्गीकरण : (१) फ्रेंकलमोइग्नि; (२) नाइट की सेवा; नाइट का शुल्क; उपासना, कृषक की अपने भूस्वामी के प्रति भक्ति; सहायताएं, आलम्बों, प्रारम्भिक बलपूर्वक अधिकार, संरक्षक, विवाह, पृथकता पर जुर्माना, राजगामी; (३) बड़ी सार्जेन्टी, (४) छोटी सार्जेन्टी ; (५) निःशुल्क किराएदारी ; (६) किराए पर पट्टेदारी के काल की घटनाएं ; (नोट, पट्टा काल का वर्गीकरण, भूमियों का वर्गीकरण नहीं। नोट, केवल राजा की सेना में की गई सैनिक सेवा ;) (६) विलिनेज ; विलेन की स्थिति और विलेन पट्टाकाल ; **टेनेमेंटम नान म्युटेंट स्टेटम**। पृ० २३—२४

कर मुक्ति की परिभाषा : **लिबेरमटेनेमेंटम विलेनम टेनेमेंटम** का विरोध करता है ; चल-सम्पत्ति पर बाद में भी ब्याज। चल सम्पत्तियों का प्रबन्ध ; मृत्यु-लेख सम्बन्धी कारणों का इसाई न्यायालय में जाना ; कर मुक्त की इच्छाएं समाप्त, सबसे बड़े पुत्र को पिता की पूर्ण सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार, इसका धीरे-धीरे प्रसार।

[स्वामी की भू-सम्पत्ति और उसका न्यायालय ; बैरन-न्यायालय और प्रथा-न्यायालय ; न्यायाधीश कौन थे ? प्रत्येक स्वामी स्वतन्त्र था ? अधिक स्वामी उत्पन्न नहीं होते थे। (१२६०)]

सामंती उद्देश्य ; परतन्त्र पुरुष की परतन्त्रता और लार्ड के मध्य कोई सम्बन्ध नहीं ; यह उद्देश्य मस्तिष्क में रखना था जो कि हम देख सकते हैं कि यह कितना प्राप्त किया गया है। पृ० ३४—३८

(ग) राज्य के विभाग तथा स्थानीय प्रशासन

(i) शायर ; इसका इतिहास; शायर मूट; आल्डरमैन, शैरिफ ; नॉर्मन अर्ल (आता है) और नॉर्मन शैरिफ (उसके स्थान पर आता है)। काउन्टी न्यायालय (शायर मूट) सामंतवादिता नहीं ; इसका संविधान ; इसका राजनीतिक महत्व; काउन्टी की अर्द्ध-सभा की विशेषताएं; बहुत से उद्देश्यों के लिए सम्पूर्ण रूप में अधिनियम; कॉरोनर्स का चुनाव (११६४) ; निर्वाचित शैरिफों के लिए संघर्ष ; काउन्टी (न्यायालय) का संसद में प्रतिनिधित्व। पृ० ३८—४३

(ii) हंडरेड, इसका इतिहास, हंडरेड सभा : हंडरेड के अर्द्ध-नगर सभा के लक्षण, इसके कर्त्तव्य, जूरियों के द्वारा आयरों में प्रतिनिधित्व। निजी हाथों में सैंकड़ा, लीट न्यायालय और शैरिफों की वापसी, हंडरेड के सार्जेन्ट। पृ० ४३—४५

(iii) अथवा नगर-क्षेत्र इसके कर्त्तव्य, रीवि और फारमैनों का आयर में प्रतिनिधित्व, रीवि का चुनाव। भूस्वामियों का नगर-क्षेत्र से सम्बन्ध······ पृ० ४५—५०

(iv) बरों, प्रत्येक बरो अपना इतिहास रखती है, सामान्यीकरण कठिन। बरों के विशेषाधिकार कुछ सीर्षकों के अन्तर्गत लाये जा सकते हैं : (क) मुक्तियां, (ख) उनके अपने न्यायालय, सैंकड़ा न्यायालय की भांति, (ग) निर्वाचित अधिकारी, **बेलिवी प्रेईपोंसिटी**, (घ) शाही देयों का संग्रह, **दी फिरमा बर्गी**, (ङ) गिल्ड्स। लंदन शहर। एक नगर निगम का विचार (न्यायिक व्यक्ति) अब तक नहीं बनी, परन्तु विशाल नगर नगर निगमों की शक्तियों के रूप में क्या समझा जाना रखते हैं। पृ० ५१—५३

(घ) केन्द्रीय सरकार

पुनरावलोकनः—

(i) सन् १०६६ से पूर्व। राजा और विद्वान, विटेंगनेमोट का वास्तविक निर्माण सिद्धांत यदि वह लोक सभा का रहा हो, बिशप, आल्डरमैन, थेन (**मिनिस्टर रेगिस**)। सामंतवादी प्रवृत्ति। सभा की शक्तियां, चुनाव और राजा की शपथ पूर्ण साक्षों, अधिकारियों की नियुक्ति विधायिका, न्यायाधिकार, आदि, परन्तु वास्तव में, वह एक छोटी केन्द्रीय सरकार है। राजत्व के वैभव में वृद्धि होती है परन्तु वस्तुतः वैभव में अपेक्षाकृत शक्ति के। पृ० ५४—५८

(ii) सन् १०६६ से ११५४ तक। राजत्व के लिए उपाधि, कौंसिल और सम्पत्ति की प्रथा का होना। दी **कूरिया रेगिस**, सामंतवाद कब तक बना रहा,

CamScanner

मुख्यत: किराएदारों की संख्या, न्यायालय एक भार सा लगना। **कूरिया रेगिस** में संकुचित भाव, शासन प्रबन्धिका, राज्याधिकारी, जस्टीसियर, चांसलर, एक्सचैकर और उसका दैनिक कार्य। पृ० ५८—६२

(iii) सन् ११५४ से १२१६ तक। **कम्युने कौंसिलियम** रेग्नी के चार्टर (१२१५) में परिभाषा। **बैरोनेस मेजोरेस** कौन थे और **बैरोनिया** क्या थी? मुख्य किरायेदारों के बीच धीरे-धीरे सीमा रेखा का निर्धारण होना। हेनरी II के अन्तर्गत व्यावसायिक न्यायधीश, भ्रमणशील न्यायाधीश, एक्सचैकर की बैरनें। पृ० ६२—६७

(iv) सन् १२१६ से १२९५ तक चार्टर में परिवर्तन प्रतिनिधित्व की प्रगति, १२५४ की संसद, बाद की संसदें, १२६१ १२६४, १२६५ की घटनाएं, बाद की संसदें व संविधान पर संदेह, १२९५ की संसद एक आदर्श हुई है। पृ० ६८—७४

तीन अवस्थाओं की संसद का संविधान।

(१) क्लर्जी : बिशपों, उनके दोहरे पद, एबटों, निम्न क्लर्जी, प्रेइम्युनिएन्टिस धारा, संसद एवं दीक्षान्तों। पृ० ७४—७६

(२) बैरोनेज : एक कठोर सिद्धान्त की मांग के द्वारा उत्पन्न कठिनाइयां, बैरोनी के द्वारा पट्टेदारी और पट्टेदारी के द्वारा बैरोनी, लेख के द्वारा बैरोनी, दूसरे की नियुक्ति के उत्तराधिकार का एक पृथक सिद्धांत पट्टेदारी के द्वारा अधिकार का एक अस्पष्ट सिद्धांत है। न्यायधीश और दूसरे कौंसिलरों का बुलाया जाना, उनकी स्थिति। पृ० ७६—८३

(३) कॉमनज : कम्यूनों और **कम्यूने**, शायर में निर्वाचक, काउन्टी न्यायालय का प्रतिनिधित्व, बरों, जागीर के समीप की भूमि तथा अन्य बरों, बरों में निर्वाचक, स्थान परिवर्तन में अप्रतिनिधित्व। पृ० ८३—८८

मैग्ना कौंसिलिया की **पार्लियामेन्टा** के साथ तुलना शब्दों की विशेषता। पृ० ८८

कौंसिलियम रैगिस, हेनरी III के काल में अल्पसंख्यकों की प्रगति, परिषद् का संसद से सम्बन्ध, जो कि अभी परिभाषित नहीं है।

(१) न्याय व्यवस्था, संसद में **मैगनम कौंसिलियम** में, स्थायी परिषद् में प्रावधान और अध्यादेश के मध्य अन्तर धीरे-धीरे दिया गया।

(२) करारोपण, शाही राजस्व के स्रोत, जागीर के समीप की भूमियों पर लाभ, सामंती देय, जागीर के समीप की भूमियों के कर, प्रथाएं, असाधारण आय, शान्ति के बदले में उपहार, केरुकेज, चल सम्पत्ति पर कर। करारोपण के लिए आवश्यक सम्मति, १२१५ का चार्टर, हेनरी III और एडवर्ड I के अन्तर्गत अभ्यास, १२९७ के संघर्ष **कन्फरमेशियो कारटेरम** एवं **डी टैलोगिओ नान कांसिडेन्डो**। पृ० ८९—९४

राजत्व, उत्तराधिकार का होना, राज्याभिषेक की शपथें, 'राजा गलती नहीं कर सकता' :—इसका अर्थ। ब्रैक्टन में राजत्व का सिद्धांत, राजद्रोह का अधिकार। 'प्रभुता' का आधुनिक विचार अप्रयोज्य, चालू चर्च और राज्य के सिद्धांत द्वारा अस्वीकार किया जाना। राजा एक विधायक की भांति, **क्वोड प्रिंसि पीप्लैसिट** आदि पर ग्लेनविल और ब्रेक्टन। नये लेखों के साधनों द्वारा न्याय व्यवस्था, क्या राजा नये लेख दे सकता है?—इस शक्ति पर एक सीमा है। पृ० ९४—१०२

(ङ) न्याय प्रबन्ध

न्यायालय हैं: (१) जातीय, (२) सामंती, (३) शाही, केन्द्रीय और अस्थायी, (४) शाही, स्थानीय और अस्थायी (जाँच सम्बन्धी), (४) धर्म-संघ सम्बन्धी। उनकी योग्यता के अनुसार सामान्य सिद्धांत। राजा के न्यायालय के आरम्भ होने के साथ (क) पिछला छांटा हुआ न्यायालय जब कि न्याय अस्वीकार किया गया था, (ख) मुख्य में किराएदारों के लिये एक न्यायालय, (ग) ताज की अभियुक्तियों का न्यायालय। पृ० १०२--१०४

शाही न्याय प्रबन्ध की प्रगति :—

(i) अपराधी। ताज की अभियुक्तियां, कैन्यूट के कानूनों में, **लीगेस हेनेरिसी प्रीमि** में, (अ) राजा की शान्ति, (ब) फैलोनी के विचारों के साधनों द्वारा शनैः शनैः बढ़ावा। अपील और अभ्यारोपण। पृ० १०४—१०८

(ii) दीवानी। प्रगति की रेखायें, (१) कारणों का आह्वान **क्वोड निसि फेसेरिस** आदि; (२) लेख के बिना करमुक्ति के लिए किसी को आवश्यकता नहीं; (३) बड़ी **एसाइज** की शाही प्रक्रिया; (४) शाही अधिकार में एसाइजेज; (५) **प्रिंसिपी** के लेख; राजा के लेख का तिरस्कार; (६) राजा की शांति; अतिचार का कार्य। राजा का न्यायालय विवाह-प्रार्थी के लिए लाभ प्रदान करता है, उदाहरण के लिए, जूरी द्वारा जांच। पृ० १०८—११२

विधि का इतिहास। प्राचीन विधि; साक्ष्य निर्णय के पश्चात आता है और एक अलौकिक अपील है: शपथ; दूसरों की शपथ पर किसी व्यक्ति को निर्दोष मानना; औपचारिक साक्षी विधि; कठिन परीक्षा; (विजय के बाद) युद्ध। जूरी द्वारा जांच के बीज इंग्लैंड में नहीं पाए गए; परन्तु फ्रैंकिश राजाओं की विशेषाधिकार विधि में; फ्रैंकिश इनक्विजिशिओं; माननीय, भेदभावरहित पड़ौसी की शपथ द्वारा जांच; इंग्लैंड का एक शाही विशेषाधिकार रखने वाले के रूप में परिचय; डूम्सडे पुस्तक। शीघ्र मृत्यु पर विचार करने वाली न्यायिक जांच विधि का हेनरी II के अन्तर्गत सामान्यीकरण; **रिगेल बेनिफिसियम**; (१) बड़ा क्षेत्र (२) अधिकार क्षेत्रं (३) दीवानी मुकदमों में जुरैटा, (४) अभियुक्त जूरी (इथिलरैड की विधि संघर्षों से सम्बन्ध), (५) अपील और अभ्यारोपणों में जुरैटा; पैइने फोर्ट

ऐट डूरे। जूरी १३ वीं शताब्दी के अंत तक साक्षी रहे हैं। स्थानीय न्यायालय जूरी द्वारा जांच के लिए कभी अपराध का दोषी नहीं पा सकते थे। पृ० ११२—१२६

एडवर्ड I के समय में न्यायालय। कार्य (अ) साम्प्रदायिक (ब) सामंती न्यायालय, शीघ्र नष्ट हो जाते हैं : ग्लोसेस्टर का प्रावधान। (स) राजा का केन्द्रीय न्यायालय स्वयं ही बंटा हुआ है; जस्टिसियर पद का अन्त ; (i) राजा की बेंच (ii) कामन् प्लीज, (iii) एक्सचेकर (iv) संसद में राजा (v) परिषद् में राजा। अधिकार की जांच करने सम्बन्धी न्यायालय (द) का इतिहास ; आयर में न्याय ; अधिक आधुनिक आयोग, (१) क्षेत्र (२) जेल से मुक्ति, (३) ओयर ऐट टर्मिनर।

पृ० १२६—१३६

(च) सामन्तवादिता का पुनरावलोकन

'सामंत प्रथा' का विचार, स्पैलमैन द्वारा उल्लिखित यूरोपीय सामान्य कानून की भांति, राइट और ब्लैकस्टोन द्वारा लोकप्रिय हुआ, तुलनात्मक न्याय व्यवस्था का एक प्रथम प्रयास ; यह महत्वपूर्ण है, परन्तु विभिन्न देशों के बीच बहुत बड़ा अन्तर है और जो कि नहीं देखा जा सकता। पृ० १३६—१४०

सामंतवाद की परिभाषा का विवेचन। कितने पहले इंग्लैंड में सामंती विचार आया ?

एंग्लो सैक्सन विधि में सामंतवाद के प्रति प्रवृत्ति ; वैधानिक सम्बन्धों का प्रादेशीकरण ; इसके आर्थिक कारण। (१) थेगन प्रथा; भू-स्वामी के रूप में थेगन; सैनिक कर्त्तव्य और भूमि-स्वामित्व ; ग्रामीण भूमि टेरा रेगिस हुई। (२) राज्य द्वारा लार्ड का कर्त्तव्य निर्धारित करना। (३) न्याय-व्यवस्था को सहायताएं (४) आश्रित भूमिपति; विलिनेज। पृ० १४०—१४६

विलियम ने किन अर्थों में सामंतवाद का उल्लेख किया था। पट्टेदारी का सिद्धांत : समस्त भूमि इसके अन्तर्गत लाई गई ; एक पूर्ण मान्यता ; सामंती पट्टेदारी एक योग्य अथवा सैनिक वर्ग की प्रतीक नहीं। इस प्रकार स्पष्टतः सामंतवाद निजी कानून है और इग्लैंड सभी देशों में सबसे अधिक सामंतवादी है।

पृ० १४६—१५४

विशेष प्रकार के निश्चयों द्वारा सैनिक सेवा के सिद्धांत का शनैः शनैः विकास ; पूर्ण नहीं जब तक स्कुटेज लगा हुआ है और सामंतवाद का क्षय हो रहा है। पट्टेदारी की घटना' का सपरिश्रम विस्तार भी धीरे-धीरे है ; संरक्षकता और विवाह का भार इंग्लैंड में असाधारण बोझ है।

लेकिन सामंतवाद का राजनैतिक प्रभाव प्रथम सीमा से है। (१) पूर्ण राजभक्ति की शपथ। (२) राजा से अतिरिक्त अन्य किसी की युद्ध विधि से कोई भी व्यक्ति कभी बाध्य नहीं है। (३) पट्टेदारी रखने वाली पृथक फौज में सेवा करना

सबका कर्त्तव्य है। (४) सामंतवाद में करारोपण सीमित नहीं है। (५) सामंतवाद न्याय रखता है परन्तु छोटे क्षेत्र में ; साम्प्रदायिक न्यायालय अधिकार रखने और सामंती नहीं। (६) राजा का न्यायालय और परिषद् निश्चित रूप से सामंती नहीं। पृ० १५४—१६०

द्वितीय युग

हेनरी VII की मृत्यु पर सार्वजनिक विधि का ब्यौरा

(क) संसद

१. उसका संविधान

तीन वर्गों का इतिहास

(i) पादरी :—बिशपों, एबटों ; पुजारी वर्ग के प्रोक्टरों की अनुपस्थिति।

(ii) लार्डों—ड्यूकों, मारक्यूसों, विस्काउन्टों। अधिकार द्वारा लार्ड पद और प्रलेख द्वारा लार्ड पद। पट्टेदारी द्वारा बैरन। पीयरों की संख्या 'लार्ड पद' का विचार ; लार्डों द्वारा जांच के अधिकार का स्वीकार किया जाना परन्तु सूक्ष्म सीमाओं के भीतर ही। उच्च स्टीवर्ड का न्यायालय। लार्ड पद कोई जाति नहीं। लार्ड सदन में आध्यात्मिक लार्डों की बहुलता।

(iii) कॉमनस—सदस्यों की संख्या। काउन्टी मताधिकार ; ४० शिलिंग का पूर्ण स्वामित्व। प्रतिनिधि बरों की संख्या। बरो मताधिकार। सदस्यों का वेतन।

संसद का दो सदनों में प्रबन्ध ; उसका क्रियान्वित किया जाना। दो सदनों के कार्य। प्रलेखों की शब्दावली। पृ० १६१—१७२

२. संसदों की आवृत्ति और अवधि

वार्षिक संसदें। १३३० और १३६२ के प्रविधान। एडवर्ड IV के संसदों की मध्यावधि सामान्य बन जाती है। पृ० १७२—१७४

३. संसद की कार्यवाही

हमें सार्वभौमिकता के सिद्धांत से प्रारम्भ नहीं करना चाहिए ; इस प्रकार का सिद्धांत विवादों का परिणाम है। पृ० १७४

(i) करारोपण—यहां संसदों की आवश्यकता स्थापित की जाती है। संसद की स्वीकृति के बिना प्रत्यक्ष कर असम्भव हो जाता है। अप्रत्यक्ष करारोपण का इतिहास उपहार। संसदीय करारोपण ; पुजारी वर्ग का करारोपण। कॉमनस् द्वारा धन के अनुदान का प्रारम्भ में रखा जाना : अनुदानों के प्रकार। टनेज और

पाउन्डेज । हेनरी VII की सम्पत्ति । राजा की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन । रसद और पूर्वक्रय अधिकार । लेखा परीक्षण और अनुदानों की स्वाधीनता । पृ० १७५—१८१

(ii) विधान । वैधानिक सूत्र में परिवर्तन । कामनस् और पादरी की मौलिक समानता । १२२२ की घोषणा । लार्डों और कामनस् का धीरे-धीरे एकीकरण । मैग्ना कौंसिलिया । राजा की परिषद द्वारा विधान ; निर्दिष्ट करने और प्रबन्ध करने की शक्तियाँ । विधेयक के रूप और प्रावधान । शाही मतभेद । प्रावधान विधि का विस्तृत विकास प्रावधानों का लक्ष्य । पृ० १८१—१८४

(ख) राजा और उसकी परिषद

राजा का पद : १३२७ और १३९९ की घटनायें । हेनरी IV का पद, एडवर्ड VI और हेनरी VII । याकों की सच्चाई । पृ० १८४—१८८

उसकी शक्तियां अथवा विशेषाधिकार : उनका व्यापक और अनिश्चित विस्तार । राजा के चरित्र के साथ विभिन्न राजत्व का लक्षण ; किन्तु कानून के विभिन्न पद । इस प्रकार (ऐसा कहा गया) 'नया राजतन्त्र' कानून में बिना परिवर्तन के जाना गया है । राजत्व सम्बन्धी फोरटेस्क्यू का सिद्धांत ।
पृ० १८८—१९३

परिषद् ; इसका संविधान ; इसका निरंतर परिवर्तनशील चरित्र । शाही अल्पमत और उसका राज्यकाल । प्रतिशासन काल की परिषद् के रूप में कौंसिल । एडवर्ड IV और हेनरी VII के अन्तर्गत यह शक्तिशाली हुआ लोगों के विरोध में, राजा के विरोध में कमजोर । राजा की मुद्रा ; 'मंत्रितत्व का उत्तरदायित्व ।' परिषद् के कार्य । पृ० १९३—१९८

(ग) न्याय प्रबन्ध

सामंती और साम्प्रदायिक न्यायालयों का ह्रास । शांति न्यायाधीश ; उनका इतिहास ; उनके बढ़ते हुए अधिकार ; दंडनीय सूक्ष्म जांच के क्षेत्र ; उनका परिषद् से सम्बन्ध । सामान्य विधि के तीन न्यायालय । छोटी कचहरियों के आयोग आदि । दीवानी कार्यों के लिए छोटी कचहरियों की प्रथा । जूरी द्वारा जांच ; उसकी प्रणाली में परिवर्तन ; दीवानी मुकदमों में ; फौजदारी मुकदमों में ; महान और छोटे जूरी । कष्ट देकर बलपूर्वक स्वीकृति लेना । अपील और अभ्यारोपण जूरी पद पर फोर्टेस्क्यू । पृ० १९८—२०७

संसद का अधिकार क्षेत्र (अर्थात् इस उद्देश्य के लिए, लार्ड सदन) :—(i) लार्डों की जाँच, (ii) त्रुटि प्रलेख, (iii) उत्कोच । महाभियोगों और अटेन्डर कार्यों में तुलना ; प्रारम्भिक उदाहरण । पृ० २०८—२१०

परिषद् का अधिकार क्षेत्र, (१) त्रुटि न्यायालय के रूप में, इसके दबाए जाने पर; (२) प्रथम अपील के फौजदारी अधिकारण के रूप में ; उसके विरुद्ध प्रविधान और प्रार्थनाए ; शनैः शनैः संसद की चुप्पी ; प्रविधान द्वारा परिषद् के अधिकार क्षेत्र की मान्यता ; अधिकार क्षेत्र की वैधता का प्रश्न ; १४८७ का एक्ट (३) दीवानी मुकदमों में परिषद् का अधिकार क्षेत्र ; चांसरी न्यायालय की वृद्धि ।
पृ० २१०—२१५

चांसलर और उसके अधिकार । दीवानी छूटों के लिए दी गई राजा को प्रार्थनाएं चांसलर को भेज दी जाती हैं । उसे सामान्य विधि क्षेत्र से अलग कर दिया जाता है ; परन्तु वह साम्या का क्षेत्र प्राप्त कर लेता है । साम्या की प्रकृति; विधि प्रथा की सहयोगिनी बन जाती है । पृ० २१५—२२०

(घ) आंग्ल विधि की सामान्य विशेषताएं

सामान्य कानून ; उसकी रूढ़िवादिता ; एडवर्ड IV और एडवर्ड VII के आधीन उसका विकास ; कार्य के नए प्रकार ! पाठ्य पुस्तकें और सूचनायें ।

प्रविधानिक विधि ; मध्यकालीन प्रविधानों की विशेषतायें ; आर्थिक विधान की वृद्धि ।

फौजदारी प्रणाली पर विशेष विवरण । देशद्रोह के कानून का इतिहास ।
पृ० २२०—२२९

तृतीय युग

जेम्स I की मृत्यु पर सार्वजनिक विधि

(क) संसद

१. संसद का संविधान

(i) लार्ड सदन । एबटों का लोप ; बिशपों की नियुक्ति पर विधान । भौतिक लार्डों की संख्या ।

(ii) कामन सदन । सदस्य संख्या । नई बरों का निर्माण ।

पुजारी राज्य में लगभग एक वर्ग के रूप में नहीं रहे थे ; करों पर अभी भी कन्वोकेशन में मतदान होता था, यद्यपि उसकी पुष्टि प्रविधान द्वारा होती थी ।
पृ० २३१—२३३

२. संसद के विशेषाधिकार ।

विशेषाधिकार अब एक महत्वपूर्ण विषय है ।

(अ) वाद-विवाद की स्वतन्त्रता ; हैक्से का मामला ; स्ट्रोड का मामला ; स्टिकलैंड का मामला ; वेन्टवर्थ का मामला ; एलिजाबेथ का दृष्टिकोण और जेम्स की १६२१ की घटनायें । पृ० २३४—२३६

गिरफ्तारी से मुक्ति; १४३३ का प्रावधान; फैरर का मामला, शर्ले का मामला, १६०४ का प्रावधान । पृ० २३६—२३७

(स) तिरस्कार के लिए दण्ड; स्टोरी, पैरी, ब्लैंण्ड, फ्लायड के मामले । पृ० २३७—२३८

३. संसद की न्याय व्यवस्था ।

उदाहरण के लिए लार्ड सभा, (अ) गलती के न्यायालय के रूप में, (ब) पीयरों की जांच में, (स) महाभियोगों में : महाभियोगों में पुनरुद्धार ; उनका महत्व । न्याय प्रबन्ध लार्ड सभा के विशेषाधिकार के रूप में । अटेन्डर के अधिनियम । पृ० २३८—२३९

४. अनुदान के धन में कॉमन्स के कार्य । पृ० २३९—२४०

५. चुनावों के विवाद के निर्णय का अधिकार । पृ० २४०

निर्वाचनों के विवादों के निर्णय के लिए कॉमन्स का दावा ; नोवेल का मुकदमा ; १५८६ की घटनायें । पृ० २४१

६. संसदीय प्रक्रिया ।

अब दी गई रूपरेखा, लार्डों के प्रतिनिधि और दृढ़ युक्तियां, लार्ड सभा में राजा । पृ० २४१

७. संसदों की अवधि और आवृत्ति ।

हेनरी VIII और एलिजाबेथ की दीर्घ संसदें, बिना सत्र के दीर्घ मध्यांतर, वार्षिक संसदों के लिए भंग न किए गए पुराने प्रावधान । दीर्घ संसदों का महत्वपूर्ण परिणाम । पृ० २४१—२४४

(ख) राजा का संसद से सम्बन्ध

ट्यूडर संसदों का लचीलापन, शक्तिशाली ऋण, राजा के ऋणों का क्षमादान एलिजाबेथ और जेम्स के अन्तर्गत संसदों की बढ़ती हुई स्वतन्त्रता ।

राजा की संसद में सर्वोच्चता प्रत्यक्ष रूप में हुई । (१) अटेन्डर के अधिनियम, (२) राजा के ऋणों के क्षमादान, (३) शाही परम्पराओं के पुनर्स्थापित होने, हेनरी VIII की इच्छा, (४) इंग्लैंड की 'लैक्स रेगिआ' (१५३९) और इसका भंग होना, (५) राजा के प्रावधान तोड़ने में अयोग्य अधिनियम, उनका भंग होना, (६) धर्म में हस्तक्षेप । सर टॉमस स्मिथ संसद में राजा की सर्वोच्चता पर । पृ० २४४—२४६

परन्तु कई दिशाओं में राजा की शक्तियों को गलत पारिभाषित किया गया है; परिषद् का संविधान । परिभाषा की व्याख्या की आवश्यकता—

(१) विधान में—निर्देश देने की शक्ति; घोषणा के उदाहरण; मैरी के इस्तीफे में जजों का प्रस्ताव; संसदीय दृढ़ युक्तियां । स्टार चैम्बर में परिषद् घोषणा की प्रेरणा देती है । पृ० २४६—२५०

(२) राजकोषीय मामलों में—'कर'; बेट्स का मामला; कोक का मत; संदेह-रहित विशेषाधिकारों के विस्तार द्वारा कठिन कारण; जैसे मुद्रा को हीन करना, कृपा । एकाधिकारों; उनके विरुद्ध प्रावधान; विशेषाधिकारों की मध्य-युग में बिक्री । पृ० २५०—२५३

(३) नायिक मामलों में (i) स्टार चैम्बर का न्यायालय; इसके उदय और वैधानिकता का सिद्धान्त; प्लाउडन का मत; १५६२ का प्रावधान; कोक का मत; चांसरी के अब सु-स्थापित न्यायालय के साथ सम्बन्ध; इसकी प्रक्रिया; मनमाने रूप से दण्ड; शारीरिक दण्ड का प्रयोग (ii) उत्तरी कौंसिल, (iii) वेल्स की कौंसिल; इसके न्याय-प्रबन्ध में संदेह; इन न्यायालयों की लाभदायकता; स्थायी प्राचीन न्यायालयों के टूटने के कारण । (iv) उच्च आयोग; कोक का राजा की धार्मिक प्रभुता में मत; उसका आयोग में मत । (v) सैनिक कानून का आयोग; मार्शल का न्यायालय और कोर्ट मार्शल; एडवर्ड IV के अन्तर्गत पूर्वाग्रह; १५८८ और १५९५ की घोषणायें । पृ० २५४—२६०

विशेषाधिकार और कानून; कोक के जीवन पर व्याख्यायें; धार्मिक न्यायालयों के साथ झगड़ा; राजा जज नहीं; उच्च आयोग के साथ झगड़ा; करों के लिए मत; न्यायिक क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र लेने में शीघ्रता से जजों के मत; चांसरी के साथ झगड़ा; कमैन्डमस का मामला; उसका अपमान; चार 'पा' जिन्होंने उसे बर्बाद किया । पृ० २६०—२६३

बन्दी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख के चारों ओर क्यों विवाद पैदा हुआ; इसका इतिहास; कैदियों की जमानत में प्रविवान । क्या राजा का संचालन कैद के लिए एक कारण है ? 'एन्डरसन में प्रस्ताव ।' कोक के मस्तिष्क में परिवर्तन; संगठित तूफान; प्रभुता क्या है ? पृ० २६३—२६७

(ग) सेना का इतिहास

सामंती कर; इसका बेढंगापन; स्कुटेज । सेनाओं का क्षेत्र; विंचेस्टर का प्रावधान; गांव का कांस्टेबिल । प्रबन्ध के आयोग; एडवर्ड III और हेनरी IV का प्रावधान । स्थायी सेना नहीं । फिलिप और मैरी का एकत्र सेना के लिए अधिनियम; इसका भंग किया जाना; कवच रखने के लिए फिलिप और मैरी का कानून, जेम्स के राज्यकाल में स्थिति । (१) मार्शला ला, (२) सेनाओं को धन देने के लिए उगाहने की समस्या । वैध नौ-सेना के लिए दबाव डालना । पृ० २६७—२७२

CamScanner

(य) स्थानीय सरकार[1]

(ङ)[1] कानून की सामान्य विशेषतायें, विशेषतः फौजदारी कानून की ।

(च) सुधार का वैधानिक इतिहास[1]

चौथा युग

विलियम III की मृत्यु पर सार्वजनिक विधि की रूपरेखा

(क) राजत्व का संविधान

पुर्नस्थापना और क्रांति का वैधानिक इतिहास। कन्वेंशन संसद और कन्वेंशन; क्या वे संसदें थीं ? उनके कार्यों को वैधता प्रदान करने के प्रयास। जेम्स द्वारा 'त्यागना,; उसकी तिथि; मध्यावधिकाल। क्या एक क्रांति हुई थी ?

पृ० २७३—२७७

उत्तराधिकार की व्यवस्था; जाब्ती की धारा; नवीन तिलक की शपथ; प्राचीन शपथ का इतिहास; उसमें परिवर्तन लाने का लॉर्ड के विरुद्ध अभियोग; उसके अर्थों पर झगड़ा। पृ० २७७—२७९

(ख) संसद का संविधान

(i) लॉर्ड सदन; बिशपों का निकाला जाना और पुनः स्थापित किया जाना; लॉर्डों की संख्या; १६४९ में सदन का भंग किया जाना। पृ० २७९—२८०

(ii) कॉमन सदन; सदस्यों की संख्या; नवीन बरो; नगरों को सदस्य भेजने के विशेषाधिकार का प्रयोग में न रहना; क्रामवैल की संसदों का संविधान; चुनाव की योग्यतायें; व्यवस्था अधिनियम द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के पृथक्करण का विचार; सदन द्वारा चुनाव सम्बन्धी झगड़ों का निर्णय। पृ० २८१—२८४

(ग) संसदों की आवृत्ति और वृद्धि

१६४१, १६६४, १६९४ के कानून; अधिवेशनों का तारतम्य में संक्षेप।

पृ० २८४—२८८

(घ) प्रभुता का प्रश्न

हॉब्स का सिद्धांत। १६२५ में प्रभुता के तीन दावेदार : (१) राजा, (२) संसद में राजा, (३) कानून। शिपमनी मुकदमे में जजों की विचारधारा; प्रविधानों से ऊपर राजा। शाही विवेचना में तार्किक त्रुटि—यह बहुत अधिक दूर नहीं जाती। विधि का दावा : अवैध प्रविधानों के सम्बन्ध में कोक का संविधान;

१. मेटलेंड ने इस सम्बन्ध में एक टिप्पणी लिखी कि यदि समय बचा तब इन विषयों पर विचार किया जायेगा। वह समय नहीं बचा परन्तु बाद के पृष्ठों में सुधार के वैधानिक इतिहास को संक्षेप में बताया गया। पृ० ४९२—४९९

पिछला संविधान इस दावे को बनाये रखने में बाधक सिद्ध होता है; प्रविधान क्या नहीं कर सकता ? समस्या इनके मध्य (१) और, (२) के है और (३) के पक्ष में निर्णय की जाती है। झगड़े की प्रगति बहुत से विभिन्न विभागों में देखी जा सकती है।

पृ० २८९—२९३

(ङ) विधान

(१) निर्दिष्ट करने की शक्ति; चार्ल्स I की घोषणा; स्टार चैम्बर का भंग किया जाना, (२) प्रवन्ध करने का अधिकार; उसकी सीमाओं सम्बन्धी संदेह; क्रांति के समय उसका व्यवहार; (३) निलम्बित करने का अधिकार; क्रांति के समय उससे व्यवहार; सात बिशपों का मुकदमा आदि के झगड़े। पृ० २९३—२९७

(च) करारोपण और वित्त पर नियन्त्रण

चार्ल्स I के आधीन; कर लगाना; ऋण; अधिकार प्रपत्र; शिपमनी; १६४१ का विधान। जेम्स II द्वारा करारोपण, अधिकारों का बिल।

पृ० २९७—३००

अनुदानों का अधिकरण; १६२४ और १६६५ की घटनायें; डेनबी पर महाभियोग; नागरिक सूची का प्रारम्भ; कामन्स और धन विधेयक; १७०० में उसमें जोड़ा जाना; पुजारी वर्ग पर करारोपण; सैनिक पट्टेदारियों की समाप्ति; रसद, पूर्व क्रय-अधिकार; वंशानुगत; आबकारी की स्वीकृति। पृ० ३००—३०२

(छ) न्याय प्रबन्ध

स्टार चैम्बर का हटाया जाना; उच्च आयोग; वेल्स की तथा उत्तरी कौंसिल; जेम्स द्वारा उच्च आयोगों की पुर्नस्थापना; अधिकार विधेयक की घोषणा; चांसरी का निकल जाना। पृ० ३०२

जजों के आयोग में परिवर्तन; स्थापित अधिनियम द्वारा प्रेरणा; जूरियों की स्वतन्त्रता; बुशेल का मामला। पृ० ३०३

बन्दी प्रत्यक्षीकरण; अरनेल का मुकदमा; इलियट का मुकदमा; १६५९ का अधिनियम; अत्यधिक जमानत पर रोक। पृ० ३०४—३०८

महाभियोग का काल; निर्णय द्वारा विभिन्न बिन्दुओं की स्थापना; देशद्रोह के कानून में परिवर्तन; अटेण्डर के अधिनियम; लार्ड सभा के न्याय प्रबन्ध में सदनों के मध्य झगड़े; (अ) चांसरी से अपील न्यायालय के रूप में, (ब) प्रथम सुनवाई के न्यायालय के रूप में। पृ० ३०८—३१०

नौसेना और कोलोनी के मुकदमों में कौंसिल का न्याय-प्रबन्ध।

पृ० ३१०—३११

(ज) संसद का विशेषाधिकार

(१) बोलने की स्वतन्त्रता; इलियट का मुकदमा। (२) बन्दी बनाये जाने से मुक्ति; पांच सदस्यों का बन्दी बनाया जाना; विशेषाधिकार का विस्तार; (३) अपमान के लिए दण्ड देने का अधिकार; अपमान क्या है ? कानून से ऊपर विशेषाधिकार का दावा करना। पृ० ३११—३१५

(झ) सेना के विषय

मार्शल लॉ आयुक्त; सेनाओं का उधार देना; किराये पर लिया जाना; 'मिलिशिया के अधिकार।' पुर्नस्थापना के समय व्यवस्था; स्थायी सेना की वृद्धि; चार्ल्स II और जेम्स II के आधीन मार्शल लॉ आयुक्त। क्रांति के समय व्यवस्था; प्रथम विप्लव कानून; स्थायी सेना पर संसद का नियन्त्रण; वार्षिक अधिवेशनों की आवश्यकता; पुनर्निमित मिलिशिया ! पृ० ३१५—३२०

पांचवां युग

वर्तमान समय में सार्वजनिक विधि की रूपरेखा (१८८७–८)

प्रस्तावना

(१) यद्यपि मुख्यतः इंग्लैंड से सम्बन्धित है। हमें याद रखना चाहिये कि इंग्लैंड अब एक राज्य नहीं अपितु संयुक्त राज्य का एक भाग है। पृ० ३२१—३२२

वेल्स का इंग्लैंड में मिलाया जाना; स्काटलैंड के साथ मिलना; १६०३ में वैयक्तिक संघ; १७०७ में वैधानिक संघ; संघ की योजना; आधारभूत अवस्थायें; मध्य युग में आयरलैंड के इंग्लैंड से सम्बन्ध; पॉयनिंग की विधि; आंग्ल प्रविधानों और आंग्ल लॉर्ड सदन के न्यायिक अधिकार की सत्ता से प्रश्न; १७१९ का एक्ट; १७८३ का आयरी संसद को मुक्ति दिलाने वाला कानून; १८०१ का संघ; संघ की धारायें; तीन राज्यों का कोई संघ नहीं अपितु ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड के संयुक्त राज्य में पूर्ण मिश्रण। पृ० ३२२—३२७

उपनिवेश तथा अधीनस्थ राज्य; उनमें लागू कानूनों के सामान्य सिद्धांत; अमरीकी उपनिवेशों पर करारोपण; दासता की समाप्ति तथा उपनिवेश सम्बन्धी विधान; औपनिवेशिक संविधान; ताज के उपनिवेश तथा स्वायत्तशासी उपनिवेश; औपनिवेशिक सभाओं को दिये गये वृहत वैधानिक अधिकार। पृ० ३२७—३३०

केवलमात्र आंग्ल संस्थाओं में तथा ग्रेट ब्रिटेन अथवा यूनाइटेड किंगडम तथा राजा की समस्त डुमिनियनों में अन्तर कीजिये; उदाहरण के लिए आंग्ल संसद जैसी कोई चीज नहीं है; कोई आंग्ल नागरिकता नहीं है अपितु आंग्ल विधि है और आंग्ल निवास है। कानून के नियमों तथा कदाचित् नियमित रूप से पालन की जाने वाली

'अर्थपूर्ण नैतिकता'; 'संविधान की प्रथायें अथवा परम्परायें'; 'संवैधानिक मान्यताओं' में ध्यानपूर्वक अन्तर किया जाना अब महत्वपूर्ण हो जाता है। यह बहुत अधिक एक दूसरे से सम्बद्ध हैं; इसके कारण हमारी रूढ़िवादिता के प्रकार। पृ ३३०—३३३

(क) प्रभुसत्ता पालिका

I. राजत्व; परम्परा का प्रवैधानिक स्थापित होना; रानियां; रानियों के पति; 'राजा कभी नहीं मरता'; राज्याभिषेक की शपथ; पोपशाही के विरूद्ध घोषणा; राजा का आंग्ल चर्च के 'साथ सम्पर्क होना' चाहिए; शाही विवाह अधिनियम; राजा को हटाने की वैधानिक रीति नहीं। पृ० ३३३—३३५

शिशु और असमर्थ राजाओं, सामान्य विधि का कोई प्रविधान नहीं, वैधानिक रूप से अयोग्य कभी नहीं हो सकता, अवसरों पर निर्मित प्रावधान अल्पमतों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, १७८८ और १८१० की घटनायें जबकि जार्ज III पागल था, राजा की सम्मति के बिना महान् मुद्रा का प्रयोग। पृ० ३३५—३३७

II. लार्ड सभा, आध्यात्मिक लार्ड, नये पादरी के पद के लिए विधान, आयरिश बिशपों का आना और जाना, बिशपों की नियुक्ति की रीति। पृ० ३३७—३४०

भौतिक लार्ड, संख्या से वृद्धि, स्कॉटिश और आयरिश पीयरों का प्रतिनिधित्व, पीयरों को बनाने की विधि। पृ० ३४०—३४१

III. कामन् सभा—(१) संख्या में घट-बढ़, सँघ अधिनियम। पृ० ३४१

(२) काउण्टी और बरों में निर्वाचकों की विशेषतायें, १८३२-६७-८४ के सुधार, कानून की वर्तमान स्थिति, पदों का वितरण, संसदीय और नगरपालिका प्रबन्ध में भेद होना, सम-निर्वाचक जिलों की प्रवृत्ति, लेकिन अब भी काउन्टी और बरो की विशेषताओं में भेद है, अयोग्यताओं के कारण। पृ० ३४२—३५३

(३) सदस्यों की विशेषतायें, संसदीय शपथ का इतिहास, पद का इतिहास विशेषता के रूप में। पृ० ३५३—३५६

(४) चुनाव की रीति, मत का परिचय। पृ० ३५६

(५) संघर्ष-पूर्ण चुनावों का निर्णय। पृ० ३५६—३६०

(६) सदस्य होने से रोकने की रीति, निकाला जाना, विल्कीज का मामला। पृ० ३६०—३६१

IV. संसद की आवृत्ति और अवधि, १६९४ के ट्रीनियल अधिनियम पर आवृत्तियां आधारित (नोट—१६९४ का अधिनियम जो १८८७ में तोड़ा गया), १७१५ के अधिनियम की अवधि, वार्षिक सत्र क्यों आवश्यक है। ताज की विलुप्ति के द्वारा सत्रावसान का विधान। पृ० ३६१—३६३

V. संसद के विशेषाधिकार—(१) भाषण की स्वतन्त्रता, मानहानि के लिए साधारण कानून के बाहर अपवाद, स्टॉकडेल बनाम हैनसार्ड, बैसन बनाम वाल्टर, सूचना। (२) गिरफ्तारी की मुक्ति, अब कम महत्वपूर्ण। (३) तिरस्कार के लिए सजा की शक्तियां, न्यायालय की विधि द्वारा इस शक्ति का इलाज, इसका वास्तविक प्रयोग।

पृ० ३६३—३६८

VI. संसद का कार्य, प्रावधान पारित करने के अतिरिक्त अन्य कार्य, पूछताछ और आलोचना, साक्षी की परीक्षा, प्रावधान के आवश्यक तत्व, प्रत्येक सदन इसकी अपनी प्रक्रिया के लिए विधान की बड़ी शक्तियाँ रखता है, यह प्रश्न कि क्या वास्तव में दोनों सदनों ने प्रत्यक्ष में दिखाई देने वाले प्रविधान को मान्यता प्रदान कर दी।

पृ० ३६८—३७०

प्रविधान की सर्वसत्ता सम्बन्धी योग्यता, विधि-शास्त्री की सम्मति में चाहे वह कानून न भी हो, प्रविधान द्वारा विशेष आदेशों के दिये गये उदाहरण, १८वीं शताब्दी के सदनों में प्रविधानों द्वारा शासन व विधि बनाने का प्रयास, १९वीं शताब्दी में मंत्रियों व न्यायालयों को वृहत्त नवीन अधिकारों का दिया जाना और संसद बहुत कम किसी विशेष में हस्तक्षेप करती है, परन्तु अधिकार अवस्थित है और उसका प्रयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए प्रविधान द्वारा अ, ब, स को मताधिकार से वंचित करना, भ्रष्ट मतदाता, हर्जाना सम्बन्धी कानून, अनुदानों का विनियोजन।

पृ० ३७०—३७५

(ख) 'ताज' और 'सरकार'

संवैधानिक ज्ञान को रखने के प्राचीन रूप के विकास के कारण इस विषय के व्यवहार में कठिनाई, और राजा से शक्ति लेने की व्याख्या के लिए अनिच्छुकता।

पृ० ३७५—३७६

ऐतिहासिक पुनर्दृष्टि, क्रांति की व्यवस्था, विलियम III के लिए छोड़े गए बड़े विशेषाधिकार जिनकी वह अभ्यास के लिए आशा करता था। प्रीवि कौंसिल की स्थिति तथा मंत्रिमंडल में वृद्धि। मंत्रिमंडल कैसे वैध रूप से सम्भव था। एक आंतरिक कौंसिल में वृद्धि के प्रविधान द्वारा रोकने के प्रयत्न (१७००), १७०५ में भंग होना।

पृ० ३७६—३७८

महान् पदाधिकारियों के इतिहास, चांसलर, राजकोषाध्यक्ष, प्रीवि सील का रक्षक, कौंसिल का अध्यक्ष, राज्य के सचिव, एक्सचैकर का चांसलर, नौ-सेनाध्यक्ष, आयोग में नौ-सेना का पद और राजकोष। यह या इनमें से कुछ रूप एक अनियमित आंतरिक कौंसिल के साथ जिनको एक राजा संयोग से विशेषाधिकारों के रूप में प्रयोग कर सकता था, वे सीलों को रखते थे, कार्यालय की सीलों की महत्ता, दूसरे कौंसिलरों को बुलाने की आवश्यकता नहीं।

पृ० ३७८—३८१

आधुनिक प्रकार की मंत्रिमंडलीय सरकार धीरे-धीरे विकसित हुई, राजा मंत्रिमंडल की सभा में उपस्थिति को रोकता है, मंत्रिमंडल की परस्पर आधीनता का धीरे-धीरे विकास हुआ—(१) राजनैतिक एकमत, (२) संसद के लिए सामान्य उत्तरदायित्व (यद्यपि कानून के लिए नहीं), 'प्रधान मंत्री' के लिए समर्पण। राजा का उसके मंत्रियों के पीछे धीरे-धीरे हटाया जाना, जो कि अब संसद में होने की आशा करता है, उसे उनका परामर्श लेना चाहिए और उन्हें संसद की इच्छाओं के अनुसार चुनना चाहिए (बाद में, कॉमन सभा के)। यह सब 'विधि से पृथक' है। राजा की वैधानिक शक्तियां घटती नहीं रही हैं, मंत्रित्व प्रणाली के स्थापित होने से आज तक आधुनिक प्रावधानों के लिए व्यापक रूप से वृद्धि होने के कारण हैं। राजा के अपने हस्ताक्षर मानवीय अथवा सम्मति प्रीवि कौंसिल की (औपचारिक) सभा में दिया जाना असंख्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। अन्य शक्तियां इस या उस उच्च अधिकारी (मंत्रि-परिषद् के मंत्री) को दी गईं। राजा की प्रविधानिक शक्तियों से विशेषाधिकारों में भेद (उदाहरण के लिए कानूनी शक्तियां)।

पृ० ३८१—३८७

वर्तमान स्थिति—(१) प्रीवि कौंसिल का आवश्यक अस्तित्व। (२) इसका वैधानिक संविधान। और (३) वास्तविक गठन। (४) राजा कुछ प्रीवि कौंसिलरों से सलाह ले सकता है जैसे वह चाहता है और प्रीवि कौंसिल की सलाह वैधानिक है। (५) कौंसिल में राजा की महान शक्तियां। (६) राजा को कुछ उच्चाधिकारियों को रखना चाहिए (उदाहरण के लिए, राजकोष के दो लार्ड, नहीं तो वह कानूनी रूप से धन नहीं ले सकता जिस पर कि संसद मत देती है)। (७) इन उच्च पदाधिकारियों में से मंत्रिमंडल का परम्परागत निर्माण, संस्था के रूप में इसके कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। (८) परन्तु लगभग प्रत्येक सदस्य के कानूनी वैधानिक अधिकार हैं। (९) मंत्रालय का परम्परागत निर्माण। (१०) मंत्रालय की एकसूत्रता, त्याग-पत्र देने और पद स्वीकार करने के विषय में परम्परागत नियमों द्वारा बनाये रखना, परन्तु कानून द्वारा मान्यता न दिया जाना, अंततः स्वीकृति रसद की मनाही करना थी। (११) उच्च पदों का वैध कार्य-काल राजा की इच्छा पर निर्भर था। प्रधानमंत्री का चयन। (१२) मंत्रिमंडल का प्रीवि कौंसिल से सम्बन्ध, प्रीवि कौंसिल की औपचारिक सभायें (उदाहरण के लिए राजा की कुछ मंत्रियों के साथ और कभी-कभी राजकीय ड्यूक अथवा गृह के पदाधिकारी के साथ), जिसमें कि राजा के अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल की नीति के अनुसार होता है। (१३) बहुत से, परन्तु सब नहीं, शाही अधिकारों का प्रयोग परिषदादेश द्वारा किया जाना चाहिए, परन्तु प्रत्येक (अथवा लगभग सभी) शाही अधिकार के प्रयोग में किसी उच्च पदाधिकारी की प्रमाणिकता की आवश्यकता होती है। परिषदादेश का रूप। आंतरिक अधिकारों का वर्गीकरण।

पृ० ३८७—३९४

कतिपय उच्च पदाधिकारियों तथा उनके कानूनी अधिकार। (१) ट्रेजरी के लार्डों, (२) राज्य सचिवों, शासित इंग्लैंड के [गृह] सचिव के वृहत कानूनी अधिकार। (३) व्यापार मंडल। (४) स्थानीय राजकीय मण्डल। (५) शिक्षा-विभाग आदि। राजकीय प्रथा की वास्तविक कार्यवाही का उदाहरण। पृ० ३९४—४००

इन प्रविधानिक अधिकारों के उदाहरणों का उद्देश्य—ब्लैकस्टोन का यह वर्णन कि उच्च अधिकारियों (उदाहरण के लिए, सचिवों) के (कदापि ही) कतिपय अपने वैधानिक कानूनी अधिकार होते हैं, पूर्णतः असत्य बन चुका है, यद्यपि अभी भी पाठ्य-लेखकों द्वारा दोहराया जाता है। पुराना सिद्धांत (कदापि भी बहुत सत्य नहीं होता) कि 'वैधानिक अधिकार राजा और संसद में निहित है, आज गम्भीरता से परिवर्तन का मुख देख रहे हैं। बहुत महत्व के बहुत से अधिकार प्रविधान द्वारा राजा को नहीं, अपितु कतिपय उच्च पदाधिकारियों को दिए जाते हैं—उदाहरण के लिए पुलिस प्रशासन के लिए नियम बनाने का अधिकार राज्य सचिव को दिया गया। इन अधिकारों को प्राप्त करने वालों में आवश्यक तारतम्य था। मंत्रिमंडल के बन जाने से (जो कि कानून से भी आगे हैं) उसके द्वारा हड़प ली जाती है। अब हमारा कानून इतना अधिक नहीं जानता 'कार्यपालिका का अधिकार' जितना कि कार्यपालिका (अच्छा होगा कि हम कहें राजकीय) अधिकार। यह 'ताज' के विषय में बातचीत के कारण छिप जाता है, 'ताज' प्रायः अनभिज्ञता के लिए एक आवरण है, राजा को अधिकार है और उच्च अधिकारियों को अधिकार है, किन्तु ताज तो टॉवर में रखा रहता है। पृ० ४००—४०४

राजा के विशेषाधिकारों पर सीमा के सम्बन्ध में कठिनाइयां, क्योंकि उनके स्थान पर नवीन प्रावधिक अधिकारों का प्रयोग होता है, परन्तु एक विशेषाधिकार प्रयोग में न आने से पुराना नहीं पड़ जाता और उसे छीनने के लिए प्रविधान के स्पष्ट शब्दों की आवश्यकता है। पृ० ४०४—४०७

(ग) ताज की शक्तियों का वर्गीकरण

बाद के विभागों में कुछ व्यवहार में आयेंगे, लेकिन यहां (१) संविधान से सम्बन्धित पुनः बुलाने की शक्तियां, संसद को भंग करने और सभा करने तथा प्रावधान में पारित विधेयकों, (राजा 'विशेषाधिकार' रखता है, कहना सही नहीं है, उसे सक्रिय रूप से मान लेना चाहिए, एनी के द्वारा पिछले अस्वीकृत मान लिए गए), (२) युद्ध करना और शांति की लिखित शक्तियां, छोड़ी गई भूमि की शक्ति का प्रश्न, संधि करने की शक्ति, लेकिन संधि आंग्ल कानून के विकल्प में नहीं की जाती, उदाहरण, देश निकाले की संधि राजदूतों, विदेशियों, (३) कार्यालयों की स्थापना। पृ० ४०८—४१६

(घ) राजकोषीय प्रणाली

पुनरावलोकन : राजा की निजी रिसायतें और ताज की भूमियां, राष्ट्रीय आय और राजा की निजी आय, इन अन्तरों का क्रमिक स्थापित होना। 'साधारण' और 'असाधारण' आय, पूर्व महत्व का अपकर्ष। उत्तराधिकार कर का इतिहास और दीवानी सूचि, वैतनिक राजा। पृ० ४१६—४१९

संचित कोष का इतिहास और राष्ट्रीय ऋण का इतिहास। संचित कोष से ली जाने वाली राशि। आय का वर्तमान साधन। स्थायी अधिनियमों द्वारा अधिक करों का लगाया जाना। विनियोजित रसद और स्वीकृति में कॉमन् सदन के कार्य रसद किस प्रकार बढ़ी, शाही हस्ताक्षर के रजिस्टर की आवश्यकता, रसद के लिये मत प्रक्रिया। पृ० ४१९—४३२

(ङ) सैनिक प्रथा

सेना वार्षिक विप्लव अधिनियम, सैनिक अधिनियम १८८१, इसकी विषय सूचियों की प्रकृति, 'सैनिक कानून', युद्ध के विषयों के विशेषाधिकार, उधार देना और गाड़ियों का बलपूर्वक एकत्रीकरण, प्रावधान द्वारा सैनिक की स्थायी सेवा के लिए शब्द, १८ वीं शताब्दी में अनिवार्य भरती, सेना का संचालन। पृ० ४३२—४३९

मिलिशिया 'संवैधानिक शक्ति'; १६६२, १७५७, १७८६, १८०२, १८५२ के नमूने, मतदान का निलम्बन, वर्तमान योजना। पृ० ४३९—४४४

नौ सेना. सेना और नौसेना के प्रबन्ध के मध्य विरोध, १६६१, १७४९, १८६६ के अधिनियम। प्रभाव डालने वाले मल्लाह। पृ० ४४४—४४६

(च) न्याय प्रबन्ध

प्रीवि कौंसिल की एकांगी न्यायिक समिति पर विचार, इसका महान् महत्व। पृ० ४४७—४४९

(अ) दीवानी न्यायालयों की प्रथा। १९ वीं शताब्दी के महान परिवर्तन। (नये) काउन्टी न्यायालयों, चांसरी न्यायालय, आधुनिक समानता के राज्य, चांसरी प्रक्रिया, समानता का मिश्रण और कॉमन लॉं, न्याय का उच्च न्यायालय, अपील का उच्च न्यायालय, लार्ड सदन। पृ० ४४८—४६०

अपील का न्यायालय, लार्ड सदन। उनकी पूरकता के अनुसार सामान्य नियम। समानता के कानून का वर्तमान सम्बन्ध। पृ० ४६०—४६१

फौजदारी न्यायालयों की प्रथा। (२) शांति के न्यायधीशों द्वारा बनाये गये साररूप निर्णय के न्यायालय। (२) त्रैमासिक सत्र। (३) उच्च न्यायालय। मूल के लेख के लिये (४) अपील का न्यायालय और (५) लार्ड सभा। (६) ताज के

सुरक्षित मामलों के लिये न्यायालय । लार्ड सदन के समक्ष महाभियोगों और पीयरों की जांच । अपराध कानून पर कुछ टिप्पणियां । पृ० ४६१—४६३

(ख) सरकार और न्यायधीश :—जजों की स्वतन्त्रता प्राप्त की, (२) राजा दीवानी न्यायधीशों पर अधिकार नहीं रखता, लेकिन (३) अपराधी न्यायाधीशों पर वैधानिक रूप से बहुत अधिक अधिकार रखता है, क्षमा करने का अधिकार, अधिकार को बढ़ने से रोकने का अधिकार, (४) राजा कोई गलती नहीं करता इसका अभिप्राय, अधिकार का प्रपत्र, राजा के अधिकारीगण कार्यालय के अधिनियमों के किये भी साधारण रूप में मुकदमे को आगे चला सकते हैं । पृ० ४६३—४६६

(छ) पुलिस प्रथा

शैरिफ का पतन और निरन्तर अपकर्ष, उसकी वर्तमान स्थिति । पैरिश कांस्टेबिल, १८४२ का अधिनियम, विशेष कांस्टेबिल । नये कांस्टेबिलरी, इसकी सरकार । पुलिस कांस्टेबिल की स्थिति, गिरफ्तारी का कानून, पुलिस कांस्टेबिल की प्रवैधानिक शक्तियों में निरन्तर वृद्धि । उपद्रवों का दबाना, रायट एक्ट, सैनिक शक्ति का प्रयोग । ४६६—४७६

(ज) सामाजिक विषय और स्थानीय सरकार

इस निरन्तर वृद्धिशील कानून के क्षेत्र की स्थिति पर केवल इतना संकेत करना सम्भव है, परन्तु कम से कम उसकी अवस्थिति का ज्ञान अवश्य होना चाहिये ।

स्थानीय सरकार के उद्गम :—

(१) शांति के न्यायाधीश ।

(२) नगर निगम, १८३५ का सुधार ।

(३) निर्धन विधि संरक्षक, १८३४ का सुधार ।

(४) सफाई सम्बन्धी अधिकारी, १८४६ और १८७५ के अधिनियम ।

(५) स्कूल बोर्ड, १८७० । प्रजातांत्रिक प्रतिनिधि सरकार की प्रगति, काउन्टी कौंसिलों के लिये १८८८ का विधेयक (अधिनियम ?) ।

नये कर्त्तव्य इस प्रकार अंग्रेज को सौंपे गये : जिसमें से कुछ सक्रिय कर्त्तव्य हैं, उदाहरण के लिये बच्चों के जन्म का पंजीकरण, इनके टीके लगाना, और सार्वजनिक प्रारम्भिक स्कूलों में भेजना । सम्पत्ति हरण अधिनियम की भी सूचना । ४७७—४८६

(झ) चर्च

चर्च और राज्य के मध्य का सिद्धांत, 'प्रभुता' को अस्वीकार करना । चर्च सम्बन्धी न्यायालयों का निर्णय, चर्च से बहिगमन के भौतिक प्रभाव, कैनन विधि, धर्म विरोधी प्रविधान । 'एक चर्च' की जागीर नहीं अपितु सभी चर्चों की । सुधार ।

राजा और संसद के लिये चर्च का विषय । मत और संस्कार के लिये विधान । प्रथाओं का इतिहास, उनकी महत्ता ।

कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट भिन्न मत वालों की प्रामाणिकता का इतिहास, मत में भिन्नता और पोप के अनुयायियों के विरुद्ध ब्लैकस्टोन का लेखा । सहिष्टगुता का इतिहास । मामले की वर्तमान स्थिति, धार्मिक अयोग्यता का होना, जैस्यूटों के विरुद्ध कानून, धर्म विरोधी कथन एक धार्मिक अपराध है । धार्मिक न्यायालयों की शक्तियां और वर्तमान स्थिति । आंग्ल आदेशों में क्लर्क की वैधानिक स्थिति जो कि कैथोलिक पुजारी और धर्म से भिन्न मंत्री की है, भूतपूर्व एक 'प्रावधान', चर्च एक निगम नही है, व्यक्तियों की एक निश्चित संस्था भी नहीं । ४८६—५०७

(ण) सांविधिक कानून की परिभाषा

'राजकीय', 'संवैधानिक', 'शासन प्रबन्धीय' कानून जैसे कुछ शब्द, इंग्लैंड में तकनीकी नहीं, उनमें आस्ट्रिया का, और हालैंण्ड का प्रयोग । सिद्धांत जो कि संवैधानिक कानून संविधान के साथ सम्बन्धित है, कार्य के साथ शासन प्रबन्ध, कोड के लिये रूपरेखा की तरह इसे लेने में कठिनाई । कानून के सभी भाग आंतरिक रूप से स्वतन्त्र है, उदाहरण के लिये, मध्य युगों के 'संवैधानिक कानून' की मुख्य रूपरेखा 'वास्तविक सम्पत्ति कानून' द्वारा निश्चित हैं, १७ वीं शताब्दी के संवैधानिक विवाद बिना अपराधी प्रक्रिया के समझे नहीं जा सकते । ५०७—५१६

परिशिष्ट ५२१—५२२